न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, **RAS**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 29 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.रामनिवास पुत्र श्री खमुरामजी 02.रामरतन पुत्र श्री खमुरामजी 03.ममता पुत्री श्री खमुरामजी 04.अणचीदेवी पत्नि श्री खमुरामजी जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम गुड़ा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम ।

अधिवक्तागणः –

1. प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा
2. अप्रार्थी की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक :– 20/1/2022

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 468/4 कुल रकबा 1.4569 हैक्टेयर आयी हुई स्थित हैं जिस पर बहैसियत सहखातेदार के प्रार्थीगण मालिक काबिज काश्त हैं । प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तर दिशा की तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ स्थित हैं जिसके खसरा संख्या 479/2 व 300/1 हैं । प्रार्थीगण अपने खसरा संख्या 468/4 की कुल रकबा 1.4569 हैक्टेयर कृषि भूमि की राजस्व नक्शें तथा सेटलमेन्ट नक्शें अनुसार स्थायी मुटाम करवाना चाहते हैं ताकि कटाणी रास्ते की भूमि जिसके खसरा संख्या 469/2 व 300/1 हैं उक्त रास्ते की भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं हो लेकिन राजस्व नक्शें तथा सेटलमेन्ट अनुसार प्रार्थीगण के खसरें की सीमाओं का ज्ञान नहीं होने से प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि को लेकर अनावश्यक ही विवाद उत्पन्न हो रहा हैं तथा प्रार्थीनी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 468/4 के कब्जे की भूमि को रास्ते की भूमि बताने का प्रयास किया जा रहा हैं । कटाणी रास्ते की भूमि बाबत् तथा प्रार्थीनी की खातेदारी की कृषि भूमि बाबत् उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो एवं उत्पन्न विवाद का निस्तारण हो सकें । स्थायी मुटाम के अभाव में प्रार्थीनी के खसरा संख्या 468/4 तथा कटाणी रास्ते के खसरा संख्या 469/2 एवं 300/1 की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद होते रहते हैं इसलिये प्रार्थीनी वास्ते स्थायी सीमाचिन्हों की पत्थरगढ़ी करवाकर अपने खसरा संख्या 468/4 की चारदीवारी कर निर्माण करवाना चाहते हैं इसलिये श्रीमानजी के समक्ष वास्ते पत्थरगढ़ी हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम गुड़ा विश्नोईयां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 468/4 की कुल रकबा 1.4569 हैक्टेयर कृषि भूमि का सेटलमेन्ट नक्शें अनुसार सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाया जावें । अन्य कोई उचित आदेश जो प्रार्थीगण के पक्ष में हो अता फरमाया जावें

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली में तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी जो कि कार्यालय तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये कमांक/भू.अ./22/27.31 दिनांक 22.08.2022 के जरिये प्रेषित की गयी जो कि शामिल मिशल हैं ।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थीगण ग्राम गुड़ा विश्नोईयां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 468/4 कुल रकबा 1.4569 हैक्टेयर कृषि भूमि के एकल खातेदार हैं जिसकी राजस्व नक्शें में भी तरमीम दर्ज हैं जो कि मुख्य सड़क पर स्थित हैं जिसमें किसी अन्य खातेदार का कोई हक, हिस्सा होना नहीं पाया जाता हैं इसके बावजूद भी खसरा संख्या 300 के खातेदार द्वारा अनधिकृत रूप से नाजायज कब्जा कर रास्ता अवरूद्ध किया जाना मौका रिपोर्ट दिनांक 04.05.2022 अनुसार पाया जाता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयां, तहसील लूणी में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 468/4 कुल रकबा 1.4569 हैक्टेयर कृषि भूमि की मौका फर्द दिनांक 04.05.2022 अनुसार खसरा संख्या 300 के खातेदार का अवैध कब्जा हटाया जाकर प्रार्थीगण को सुपुर्द कर स्थायी पत्थरगढ़ी की जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(गोपाल परिहार) RAS
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner